पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 145/2020

अनवान :

1. हवासिंह पुत्र गुगन जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. गुगन पुत्र मंगलाराम जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।
2. जयदेव पुत्र गुगन जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।
3. राधेश्याम पुत्र गुगन जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।
4. सुनीता पुत्री गुगन जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रतवीर बैनिवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 41/37 के खसरा स0 580 की 0.847है0 खसरा स0 601 की 4.282है0 कुल 5.129है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी स0 1 गुगन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज़ है में तन्हा प्रतिवादी सं 01 गुगन की बजाए वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चुकिं प्रतिवादी स0 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को दय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 हवासिंह प्रतिवादी सं0 1 गुगन प्रतिवादी सं0 2 जयदेव प्रतिवादी सं0 3 राधेश्याम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/2/2... को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested

सह(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक)भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 145/2020

1. हवासिंह पुत्र गुगन जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।

:— वादी

ब नाम

1. गुगन पुत्र मंगलाराम जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।
2. जयदेव पुत्र गुगन जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।
3. राधेश्याम पुत्र गुगन जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।
4. सुनीता पुत्री गुगन जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : वादी
वकील श्री सतवीर बैनिवाल : प्रतिवादीगण

दिनांक : 19/2/2021

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 41/37 के खसरा स0 580 की 0.847है0 खसरा स0 601 की 4.282है0 कुल 5.129है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी स0 1 गुगन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा मंगलाराम की खातेदारी हुआ करती थी जो प्रतिवादी सं0 1 गुगन ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बिनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। राजीनामा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए व अपने पहचान पत्रों को प्रस्तुत किया। प्रतिवादी स0 05 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। उभयपक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 हवासिंह पुत्र गुगन जाति नाई निवासी भाडी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भाडी के खाता स0 41/37 संवत 2071–74 प्रदर्श 1 जमाबंदी सेटलमेंट विभाग संवत 2019 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भाडी के खाता सं0 41/37 संवत 2071-74 प्रदर्श 1 जमाबंदी सेटलमेंट विभाग संवत 2019 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये उनमें वाद भूमि वादी के दादा मगंलाराम के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में गुगन के वारिसान में 3 पुत्र हवासिंह, जयदेव, राधेश्याम तथा एक पुत्री सुनीता व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। प्रतिवादी सं0 4 ने अपना हक हिस्सा सुनीता ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं 01 के साथ साथ वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 वहिस्सा वरावंर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताविक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार योग्य होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा भाडी के खाता सं0 41/37 के खसरा स0 580 की 0.847है0 खसरा स0 601 की 4.282है0 कुल 5.129है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी स0 1 गुगन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं 01 गुगन की बजाए वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 3 वहिस्सा वरावर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चुकिं प्रतिवादी स0 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवांदी सं 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को दय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 हवासिंह प्रतिवादी सं0 1 गुगन प्रतिवादी सं0 2 जयदेव प्रतिवादी सं0 3 राधेश्याम वहिस्सा वरावर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/2/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
कलक्टर
...
R.A.S.
... (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner